

## राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ-226027

संख्या ई- 3019 / 32-जी0एस0 / 2020.

दिनांक: 18, अप्रैल, 2021.  
नरआदेश

विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु 'साक्षात्कार में पारदर्शिता' के संदर्भ में दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को कुलाधिपति की अध्यक्षता में कतिपय विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण के साथ चर्चा हुई थी। उक्त चर्चा के क्रम में सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया लागू करने के लिए बैठक में प्रकाश में आये सभी बिन्दुओं पर विचार करके कुलपतिगण की एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में सामान्य विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय के 05 कुलपतिगण सम्मिलित किये गये थे। इस समिति की बैठक दिनांक 09 फरवरी, 2021 को आहूत की गयी थी। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया को लागू करने के लिए सहमति व्यक्त की गयी। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु 'साक्षात्कार में पारदर्शिता' लाने के उद्देश्य से निम्न प्रक्रिया अपनाने हेतु निदेशित किया जाता है:-

अ- सहायक आचार्य:-

- 1) सहायक आचार्य पद हेतु सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया में निम्न प्रकार से गुणानुक्रम निश्चित होगा:-

(i)	स्नातक/स्नातकोत्तर/एम0फिल0 तथा समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score)	20 अंक
(ii)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ए0पी0आई0 स्कोर (चिकित्सा/कृषि शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा आदि विश्वविद्यालयों के सन्दर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय की नियामक संस्था द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ए0पी0आई0 स्कोर की गणना की जायेगी। यदि नियामक संस्था द्वारा कोई निर्देश नहीं है तो उस दशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था मान्य होगी)	30 अंक
(iii)	विषय की जानकारी के लिए लिखित परीक्षा	20 अंक
(iv)	शिक्षण कौशल की जानकारी (ऑनलाइन कक्षाओं आदि के लिए कम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी तथा कक्षा के समक्ष	20 अंक

	प्रस्तुतीकरण)	
(v)	साक्षात्कार	10 अंक
सकल पूर्णांक		100 अंक

- 2) प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा जो कि समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच तथा उसमें वर्णित विवरण के अनुसार Basic Academic Scores तथा API Score की गणना सुनिश्चित करेगी। इस समिति को "संवीक्षा समिति" (Scrutiny Committee) कहा जायेगा।
- 3) बेसिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score) की गणना संलग्नक-1 के अनुसार होगी।
- 4) सभी प्रकार के गुणांकों Basic Academic Scores तथा API Score को इनकी गणना करके तुरन्त प्रकाशित किया जायेगा और इनके संबंध में आपत्तियाँ आमन्त्रित की जायेंगी। आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु 07 दिन का समय दिया जायेगा। सभी आपत्तियाँ ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी और इसके लिए रिक्त पदों के विज्ञापन के समय ही एक ई-मेल आईडी0 प्रकाशित की जायेगी। निर्धारित अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण करके संशोधित गुणांक प्रकाशित किया जायेगा। यह कार्य "संवीक्षा समिति" द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
- 5) सभी अभ्यर्थियों का डोमेन नॉलेज (Domain knowledge) का आंकलन करने के लिए आब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा ली जायेगी। लिखित परीक्षा का आयोजन इस प्रकार होना चाहिए कि इसमें पूरी पारदर्शिता हो और परीक्षा आयोजन के तत्काल बाद यथा सम्भव उसी दिन इसका परिणाम घोषित किया जाये। प्राप्तांक तत्काल प्रकाशित किया जायेगा और इसके सम्बन्ध में भी आपत्तियाँ आमन्त्रित की जायेंगी। आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु 03 दिन का समय दिया जायेगा। सभी आपत्तियाँ ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण करके संशोधित प्राप्तांक प्रकाशित किया जायेगा। परीक्षा आयोजित करने के लिए कुलपति के पर्यवेक्षण में विश्वविद्यालय का परीक्षा नियन्त्रक उत्तरदायी होगा।
- 6) Basic Academic Scores, API Score तथा लिखित परीक्षा के समेकित स्कोर के आधार पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा एक मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
- 7) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा इस मेरिट लिस्ट से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष एक पद हेतु अधिकतम 10 गुना तथा उसके बाद प्रत्येक पद हेतु अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम के आधार पर अग्रिम चरणों के लिए shortlisting की जायेगी।
- 8) उपरोक्तानुसार shortlisted अभ्यर्थियों की Teaching Skills की परीक्षा ली जायेगी। इस हेतु shortlisted अभ्यर्थियों को नियत तिथि पर आमन्त्रित किया जायेगा तथा प्रत्येक को एक विषय दिया जायेगा जिस पर उनके द्वारा एक Power Point Presentation तैयार करना होगा और उसके आधार पर 15-20 छात्रों की उपस्थिति में विषय का प्रस्तुतीकरण करना होगा। Power Point Presentation तैयार करने की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही चयन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में सम्पादित की जायेगी।

- 9) तदुपरान्त चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी और साक्षात्कार के तुरन्त बाद परिणाम बन्द लिफाफे में कुलपति को सौंप दिया जायेगा।
- 10) Teaching Skills तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया की ऑडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी और इसे कम से कम 03 महीने सुरक्षित रखने का दायित्व कुलपति का होगा।

### ब- सह आचार्य एवं आचार्य


- 1) सह आचार्य एवं आचार्य के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विभिन्न विषयों में निम्नानुसार गुणानुक्रम होगा :-

(i)	स्नातक/स्नातकोत्तर/एम0फिल0 तथा समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score)	20 अंक
(ii)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ए0पी0आई0 स्कोर (चिकित्सा/कृषि शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा आदि विश्वविद्यालयों के सन्दर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय की नियामक संस्था द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ए0पी0आई0 स्कोर की गणना की जायेगी। यदि नियामक संस्था द्वारा कोई निर्देश नहीं हैं तो उस दशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था मान्य होगी)	60 अंक
(iii)	साक्षात्कार	20 अंक
<b>पूर्णांक</b>		100 अंक

- 2) प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा जो कि समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच तथा उसमें वर्णित विवरण के अनुसार Basic Academic Scores तथा API Score की गणना सुनिश्चित करेगी। इस समिति को "संवीक्षा समिति" (Scrutiny Committee) कहा जायेगा।
- 3) बेसिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score) की गणना संलग्नक-1 के अनुसार होगी।
- 4) सभी प्रकार के गुणांकों Basic Academic Scores तथा API Score को इनकी गणना करके तुरन्त प्रकाशित किया जायेगा और इनके संबंध में आपत्तियाँ आमन्त्रित की जायेंगी। आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु 07 दिन का समय दिया जायेगा। सभी आपत्तियाँ ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी और इसके लिए रिक्त पदों के विज्ञापन के समय ही एक ई-मेल आई0डी0 प्रकाशित की जायेगी। निर्धारित अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण करके संशोधित गुणांक प्रकाशित किया जायेगा। यह कार्य "संवीक्षा समिति" द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
- 5) Basic Academic Scores तथा API Score के समेकित स्कोर के आधार पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा एक मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
- 6) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा इस मेरिट लिस्ट से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष एक पद हेतु अधिकतम 10 गुना तथा उसके बाद प्रत्येक पद हेतु अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम के आधार पर अग्रिम चरणों के लिए shortlisting की जायेगी। shortlisted अभ्यर्थियों को नियत तिथि पर साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।
- 7) चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी और साक्षात्कार के तुरन्त बाद परिणाम बन्द लिफाफे में कुलपति को सौंप दिया जायेगा।

8) साक्षात्कार की प्रक्रिया की ऑडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी और इसे कम से कम 03 महीने सुरक्षित रखने का दायित्व कुलपति का होगा।

सभी विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया (एमसीआई), आल इण्डिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई), इण्डियन काउंसिल फार एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर), रिहैबिलिटेशन काउंसिल आफ इण्डिया (आरसीआई) आदि विभिन्न नियामक संस्थाओं (Regulatory Bodies) के दिशा-निर्देशों/नियमों का उल्लंघन न होने पाये तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णरूपेण पारदर्शी बनी रहे।

  
( आनंदीबेन पटेल )  
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ
2. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या
3. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा
4. कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
5. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
6. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ
7. कुलपति, उ0प्र0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा
8. कुलपति, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
9. कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
10. कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड, विश्वविद्यालय, बरेली
11. कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
12. कुलपति, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
13. कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर
14. कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
15. कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
16. कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
17. कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
18. कुलपति, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज
19. कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
20. कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
21. कुलपति, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
22. कुलपति, उ0प्र0 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
23. कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, आई0ई0टी0 कैम्पस सीतापुर रोड लखनऊ
24. कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, सीतापुर-हरदोई बाईपास रोड, लखनऊ
25. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत-विश्वविद्यालय, लखनऊ
26. कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
27. कुलपति, अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
28. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
29. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड, लखनऊ
30. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ

1/5/2021 Manoj Saxena, ARO

( महेश कुमार गुप्ता )

कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

संलग्नक-1

उपाधि	प्राप्तांक प्रतिशत में	प्राप्तांक
स्नातक	48% से कम प्राप्तांक	शून्य
	48% या उससे अधिक किंतु 55% से कम	03 अंक
	55% या उससे अधिक किंतु 60% से कम	04 अंक
	60% या उससे अधिक किंतु 65% से कम	05 अंक
	65% या उससे अधिक किंतु 70% से कम	06 अंक
	70% या उससे अधिक	07 अंक
परास्नातक	55% से कम प्राप्तांक	शून्य
	55% या उससे अधिक किंतु 60% से कम	04 अंक
	60% या उससे अधिक किंतु 65% से कम	05 अंक
	65% या उससे अधिक किंतु 70% से कम	06 अंक
	70% या उससे अधिक किंतु 75% से कम	07 अंक
	75% या उससे अधिक किंतु 80% से कम	08 अंक
	80% या उससे अधिक किंतु 90% से कम	09 अंक
	90% या उससे अधिक	10 अंक
एम0फिल0	यदि एम0फिल0 है तो	03 अंक
	यदि एम0फिल0 नहीं है तो	शून्य

